

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भूतल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/ 6567-92 जयपुर, दिनांक 14.6.17

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर,
पाली, राजसमंद एवं उदयपुर (राज0)।

विषय:- अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवरिथत पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रसंग:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/ 4804-29 दिनांक 01.05.2017 एवं समसंख्यक 5961-86 दिनांक 26.5.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवरिथत पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में लेख है कि राहत सहायता प्राप्त करने वाली पंजीकृत गौशालाओं की प्रभावी मोनिटरिंग को दृष्टिगत रखते हुये सभी गौशालाओं में राहत सहायता स्वीकृति अवधि के दौरान गौशाला संचालकों से उनके स्वयं के व्यय पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया जावे एवं बिलों के साथ रिकार्डिंग प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0., जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्मानीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. निजी सचिव, सम्बन्धित जिलों के प्रभारी सचिव।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. समरत अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव

(ग)